संख्या–15/10/94(2)–का–4–2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2013

विषयः– उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों को ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

समसंख्यक शासनादेश दिनांक 3.7.2008 में यह प्राविधान किये गये थे कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.2.2007 के प्राविधानानुसार उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ लिपिक के पद पर 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित कार्मिक के उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ लिपिक के पद पर उच्चीकृत हो जाने के उपरान्त समयमान वेतनमान के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों की गणना उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ लिपिक के पद के संदर्भ में की जायेगी ।

2. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.11.2011 के द्वारा उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक का संवर्गीय पुनर्गठन कर दिये जाने के उपरान्त विभिन्न स्रोतों से की जा रही जिज्ञासाओं के संदर्भ में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों को ए.सी.पी. की व्यवस्था का लाभ सुसंगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार देय है, अतः उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक संवर्ग के पदधारकों को ए.सी.पी. का लाभ भी सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों की पूर्ति पर नियमानुसार अनुमन्य किया जाय ।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे.आ.–2–101/दस–2013, दिनांक 01.02.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–15/10/94(3)–का–4–2013, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 30 सा0 नियुक्ति–14.02.2013–(3325)–2000 प्रतियां–(क0/आफसेट)।